छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 29-10-16

क्रमांक एफ–20–63/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.06.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम–2014''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा (5) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु अधोलिखित उप पैरा (7) के अनुसार अतिरिक्त निवेश करने पर विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी।

(7) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रूपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, **जो भी अधिक हो**, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की

कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित विकलांग (निःशक्त जन) अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो विकलांग (निःशक्त जन) अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.4 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

6.5 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान उपरोक्त पैरा 6 की तालिका एवं टीप क्र. 6.1 से 6.4 के अनुसार दिया जावेगा।

6.6 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/औद्योगिक नीति 2009–14 / औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उप पैरा 6.5 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 7.1(6) जोड़ा जाये, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 17.06.2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ–20–63/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक 29-10-16

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2 नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3.. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग